प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 05 दिसम्बर, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत झाँसी क्षेत्र के 04 चालू सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत झाँसी क्षेत्र के 04 चालू सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु** निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 40.37 लाख **(रूपये चालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत /गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6274/सीई-एसईबी/आरवाईबी/जेएचए/2023-24 दि0-25.09.2023	नि.ख.-3 जालौन	जनपद जालौन में कालपी मदरालालपुर स्थित सूर्य मन्दिर सम्पर्क मार्ग के किमी 0-3 में 4x5.00 मी 0 स्पान का लघु सेतु (बाक्स कल्वर्ट) एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	122/2021/1294/23-10-21-14(सेतु)/ 2021- दिनांक- 13-12-2021	124.34/ 124.34/ 95.85	1.06	123.28	117.07	6.21	6.21	**4.89**	**1.32**	**6.21**
2	6671/सीई-एसईबी/आरवाईबी/जेएचए/2023-	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में खडैनी बामौर गरौठा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी 4 में 8 मी. स्पान के 3 दर के आर.सी.सी. बॉक्स	62/2021/417/23-10-21-93(नियम)/ 2020- दिनांक- 25-03-2021	283.12/ 283.12/ 282.80	0.32	282.80	279.25	3.55	3.55	**2.80**	**0.75**	**3.55**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	24 दि0- 30.10.2023		कल्वर्ट (लघु सेत) का निर्माण कार्य।										
3		**नि.ख.-3 झांसी**	जनपद झांसी में एरच-ककरबई मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी 0-9 में 8.00 मी 0 स्पान के 6 दर के आर 0 सी 0 सी 0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	**122/2021/1294/23-10-21-14(सेतु) / 2021- दिनांक- 13-12-2021**	497.54/ 497.54/ 497.27	0.27	497.27	473.27	24.00	24.00	**18.91**	**5.09**	**24.00**
4		**नि.ख.-3 झांसी**	जनपद झांसी में गुरसरायं कोटरा मार्ग (अ 0 जि 0 मा 0) के किमी 0-13 में 8.00 मी 0 स्पान के 3 दर के आर 0 सी 0 सी 0 बॉक्स कलवर्ट(लघु सेतु) के निर्माण कार्य।	**122/2021/1294/23-10-21-14(सेतु) / 2021- दिनांक- 13-12-2021**	294.55/ 294.55/ 294.30	0.25	294.30	287.69	6.61	6.61	**5.21**	**1.4**	**6.61**
			योग :-	------	-----	**1.90**	**1197.65**	**1157.28**	**40.37**	**40.37**	**31.81**	**8.56**	**40.37**

अवमुक्त धनराशि रू0 (रूपये चालीस लाख सैंतीस हजार मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय रंगीन स्पष्ट फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 31,81,000 (रुपये इक्तीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 8,56,000 (रुपये आठ लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-228/2023/1676(1)/001-1676-23-10099-099-56-2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in